

## मलयालम फ़िल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट

### प्रलिस के लयि:

[हेमा समिति की रिपोर्ट](#), [रोज़गार](#), [कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नविरण\)](#) अधनियम 2013, [साइबर खतरे](#), [गोपनीयता](#), [भारतीय न्याय संहति](#), [यौन अपराधों से बचकों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम- 2012](#), [आंतरकि शकियत समति \(ICC\)](#)

### मेन्स के लयि:

कार्यस्थल पर यौन शोषण की व्यापकता और प्रभाव तथा उनका नविरण ।

स्रोत: द हद्वि

### चर्चा में क्यो?

हाल ही में मलयालम फ़िल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई । इसमें मलयालम फ़िल्म उद्योग में महिलाओं के साथ [यौन शोषण](#), [लैंगकि भेदभाव](#) और [अमानवीय व्यवहार](#) के चौकाने वाले मामले सामने आए हैं ।

- इसका नेतृत्व केरल उच्च न्यायालय की [सेवानवृत्त](#) न्यायाधीश [न्यायमूरतकि](#) के हेमा ने कयिा , जसिमें अनुभवी अभनित्री शारदा और सेवानवृत्त IAS अधिकारी के. बी. वलसा कुमारी शामिल थे ।

### रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **यौन शोषण:** इसमें काम शुरू करने से पहले ही [अवांछति शारीरकि प्रस्ताव](#), [बलात्कार की धमकी](#) , [समझौता करने को लेकर सहमत होने वाली महिलाओं के लयि कोड नाम](#) और अन्य शर्मनाक कृत्य शामिल हैं ।
- **कास्टकि काउच:** रिपोर्ट से 'कास्टकि काउच' की सर्वव्यापकता का पता चलता है, जहाँ महिलाओं पर प्रायः [रोज़गार की संभावनाओं के लयि यौन संबंधों के लयि मजबूर](#) कयिा जाता है ।
  - नरिदेशक तथा नरिमाता प्रायः महिला अभनित्रयिों को समझौता करने के लयि मजबूर करते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें [सहयोगी कलाकार](#) कहा जाता है ।
  - दुर्व्यवहार करने वालों के साथ काम करने के लयि महिलाओं को मजबूर कयिा जाता है, जसिके परणामस्वरूप उन्हें गंभीर भवनात्मक आघात सहना पड़ता है ।
  - कास्टकि काउच मनोरंजन उद्योग में नौकरी के आवेदक से [रोज़गार](#), मुख्य रूप से [अभनिय भूमकिाओं](#) के बदले में यौन संबंधों की मांग की प्रथा का एक पर्याय है ।
- **फ़िल्म सेट पर सुरक्षा:** फ़िल्म उद्योग में व्याप्त प्रायः [यौन संबंधों की मांग](#) और उत्पीड़न के डर से कई महिला फ़िल्म कर्मी [अपने माता-पति या करीबी रशितेदारों को सेट पर लाती](#) हैं ।
- **आपराधकि प्रभाव:** रिपोर्ट से पता चलता है क [मलयालम फ़िल्म उद्योग आपराधकि प्रभाव से ग्रस्त](#) है ।
  - फ़िल्म जगत के कई पुरुष कभी-कभी शराब या ड्रग्स के प्रभाव में महिला कलाकारों के होटलों के दरवाजे खटखटाते हैं, जसिसे उन्हें काफी परेशानी होती है ।
- **परणामों का भय:** यद्यपि ऐसे अपराध [भारतीय दंड संहति](#) और [कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नविरण\) अधनियम, 2013](#) के तहत दंडनीय हैं, लेकनि फ़िल्म उद्योग से जुड़ी महिलाएँ औपचारकि शकियत दर्ज कराने के परणामों को लेकर चतिति रहती हैं ।
  - [यौन उत्पीड़न](#) से जुड़ा कलंक, वशिष रूप से सार्वजनकि हस्तयिों के लयि, अक्सर अभनिताओं को ऐसी घटनाओं की शकियत करने से रोकता है ।
- **साइबर धमकी:** सनिमा के कषेत्तर में [ऑनलाइन उत्पीड़न](#) महिलाओं के लयि एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है, जसिमें महिला और पुरुष दोनों कलाकारों को साइबर धमकी, सार्वजनकि धमकी एवं [मानहानि](#) का सामना करना पड़ रहा है ।
  - सोशल मीडयिा प्लेटफॉर्म अश्लील टपिपणयिों, छवयिों और वीडयिों के लयि माध्यम बन गए हैं, जहाँ महिला कलाकारों को धमकी भरे संदेशों के साथ वशिष रूप से नशाना बनाया जाता है ।
- **अपर्याप्त सुवधिएँ:** महिला कलाकार अक्सर [शौचालय की अपर्याप्त सुवधिएँ](#) के कारण सेट पर पानी पीने से परहेज करती हैं, वशिषकर बाहरी

स्थानों पर।

- **मासिक धर्म** के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब महिला कलाकारों को अपने सैनिटरी उत्पादों को बदलने या नपिटाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
- **अमानवीय कार्य परस्थितियाँ:** जूनियर कलाकारों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। कुछ मामलों में जूनियर कलाकारों के साथ 'गुलामों से भी बदतर व्यवहार' किया जाता है, जहाँ उनसे 19 घंटे तक काम करवाया जाता है। **बच्चों को उनके भुगतान का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं,** जो समय पर नहीं दिया जाता।

## फिल्म उद्योग में यौन शोषण से नपिटने के लिये कानूनी ढाँचा क्या है?

- **भारतीय दंड संहिता, 1860** (जैसे अब **भारतीय न्याय संहिता** के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है): धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या फिर अनुचित बल-प्रयोग करता है), 354A (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) यौन अपराधों से संबंधित हैं।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) अधिनियम, 2013:** यह कानून यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिये कार्यस्थलों पर **आंतरिक शिकायत समितियों (ICC)** की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित करता है, जिसमें फिलिमों में डिजिटल सामग्री शामिल हो सकती है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 :** यह अधिनियम विशेष रूप से बच्चों को यौन शोषण और दुरुव्यवहार से बचाता है, जिसमें फिलिमे भी शामिल है।
- **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA):** इस अधिनियम का उद्देश्य वाणज्यिक यौन शोषण के लिये तस्करी को रोकना है।

## कास्टिंग काउच

- "कास्टिंग काउच" शब्द मनोरंजन उद्योग में एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तियों, आम तौर पर महिलाओं **सेरोज़गार के अवसरों, विशेष रूप से अभिनय भूमिकाओं के बदले में शारीरिक समझौता करने की अपेक्षा की जाती है।**
- इस अनैतिक और शोषणकारी प्रथा में **नरिदेशक, नरिमाता या कास्टिंग एजेंट** जैसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा महत्त्वाकांक्षी अभिनेताओं को **समझौता करने वाली स्थितियों में धकेलने या दबाव डालने के लिये अपने अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है।**
- यह शब्द फिलिम, टेलीविजन और व्यापक मनोरंजन उद्योगों में कास्टिंग प्रक्रिया में होने वाले सत्ता के दुरुपयोग और शोषण पर प्रकाश डालता है।

## रिपोर्ट की मुख्य सफारिशें क्या हैं?

- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** इसने कार्यस्थल पर **महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) अधिनियम, 2013** के तहत **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** की अनिवार्य स्थापना का प्रस्ताव रखा।
  - इसमें **केरल फिल्म कर्मचारी संघ (FEFKA)** और **मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (AMMA)** के सदस्य शामिल होने चाहिये।
- **स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रस्ताव:** कुछ सदस्यों ने सनिमा उद्योग में उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों को संभालने हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण का समर्थन किया।
  - रिपोर्ट में न्यायाधिकरण में बंद कमरे में कार्यवाही की भी वकालत की गई है ताकि पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और मीडिया रिपोर्टों से नाम गुप्त रखे जाएँ।
- **लखित अनुबंध:** सनिमा में कार्य करने वाले सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिये जूनियर कलाकारों के संयोजकों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये लखित अनुबंध पर हस्ताक्षर करना **अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।**
- **लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि सभी कलाकार और कर्मी सदस्य नरिमाण कार्य शुरू करने से पहले एक मौलिक **लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम** में भाग लें।
  - प्रशिक्षण सामग्री **मलयालम** और **अंगरेज़ी** दोनों में बनाई जा सकती है तथा इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- **नरिमाता की भूमिका में महिलाएँ:** वषियगत रूप से और नरिमाण प्रक्रिया में **लैंगिक न्याय** पर आधारित फिलिमों को प्रोत्साहित करने के लिये पर्याप्त और समय पर बजटीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिये।
  - **महिलाओं** द्वारा नरिमति फिलिमों (पुरुषों के प्रतिनिधि नहीं) के लिये नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और शूटिंग हेतु अनुमति को सुव्यवस्थित करने के लिये **एकल खड़की प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिये। इससे उत्पादन सरल होगा तथा और अधिक **महिलाओं** को फिलिम उद्योग में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

### दृष्टि मैनस प्रश्न:

**प्रश्न:** मनोरंजन उद्योग के विशेष संदर्भ में भारत में महिलाओं के यौन शोषण के मुद्दे पर चर्चा कीजिये। कार्यस्थल पर यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इनका नविवरण कैसे किया जा सकता है?

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????

प्रश्न. भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित नरितर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? (2019)

प्रश्न . महिलाएँ जनि समस्याओं का सार्वजनिक और नजी दोनोँ स्थलों पर सामना कर रही है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीतिबनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तरक प्रस्तुत कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hema-committee-report-on-malayalam-film-industry>

